रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215299
CG-DL-E-10012020-215299

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
No. 100] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

का.आ. 108(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना का.आ. 2299 (अ), तारीख 06.06.2018 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एनई-II के 1.000 कि.मी. से 136.000 कि.मी. (रारा-1 के 36.083 कि.मी. से 1.000 कि.मी. की दूरी से आरंभ होते हुए और रारा-2 के 64.330 कि.मी. से 1.000 कि.मी. की दूरी पर समाप्त होते हुए) (लगभग-135 कि.मी.) तक 6 लेन के प्रयोग के लिए शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है;

अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2299 (अ), तारीख 06.06.2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतदद्वारा द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

(क) पैरा 4 के लिए:

मौजूदा के स्थान पर	प्रतिस्थापित किया जाएगा
जो वाहन शुल्क प्लाजा पार करके सेक्शन के एक ही भाग का उपयोग करेगा वह केवल उस प्लाजा के लिए उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करेगा और जो वाहन पूरे सेक्शन का उपयोग करेगा उसके पास विकल्प होगा कि वह पहले शुल्क प्लाजा पर पूरे शुल्क का भुगतान कर दे और शुल्क की रसीद दिखाकर दूसरे शुल्क प्लाजा को पार करे।	केवल एक भाग या पूरे सेक्शन का उपयोग करने वाला वाहन प्रवेश शुल्क प्लाजा में प्रवेश रसीद लेगा और निकास शुल्क प्लाज़ा पर प्रवेश रसीद को दिखाकर, वाहनों की उस श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेगा।

[फा. सं.भाराराप्रा/13013/सीओ/17-18/जीसी ईपीई(रारा-एनई-II के 1.000 कि.मी. से 136.000 कि.मी.)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

S.O. 108(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) , read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time, the Central Government , vide notification S.O. 2299(E) dated 06.06.2018 authorised National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor , fee for use of 6 lane from km. 1.000 to km. 136.000 (starting at 1.000 km distance from km 36.083 on NH-1 and ending at 1.000 km distance from km 64.330 on NH-2) (approximately 135 km.) on National Highway No. NE-II in the state of Haryana and Uttar Pradesh.

Now, In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification published vide S.O. 2299(E) dated 06.06.2018:

(a) For the words in Para 4:

In place of existing	Shall be substituted as
The vehicle using only a part of a section by crossing a fee plaza shall pay the specified fee for that category of the vehicle for that plaza only and the vehicle using the whole section shall have an option to pay the whole fee at the first fee plaza and cross another fee plaza by showing the receipt.	The vehicle using only a part or whole section shall take entry receipt at entry fee plaza and pay the fee specified for that category of the vehicle at the exit fee plaza by showing the entry receipt.

[F. No. NHAI/13013/CO/17-18/GC EPE (km 1.000 to km 136.000 of NH NE-II)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.10 17:28:56 +05'30'